| | राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | चैत्र 20, शुक्रवार, शाके 1937–अप्रेल 10, 2015<br>*Chaitra 20, Friday, Saka 1937-April 10, 2015* | |

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप–2)**

**अधिसूचना**

**जयपुर, अप्रेल 10, 2015**

**संख्या प.2(19) विधि/2/2015:**–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

## राजस्थान विनियोग (सं. 1) अधिनियम, 2015

## (2015 का अधिनियम संख्यांक 9)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम.**-इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 1) अधिनियम, 2015 है।

**2. वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 19,79,56,851/-रु. का प्राधिकृत किया जाना.**-अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आये विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त संदत्त, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र 19,79,56,851/-रु. (उन्नीस करोड़ उन्नासी लाख छप्पन हजार आठ सौ इक्यावन रुपये) की कतिपय और राशियों का विनियोजन 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित उक्त सेवाओं के लिए किया जाना एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

**अनुसूची**

**(देखिए धारा 2)** **(रुपयों में)**

| सेवाएं और प्रयोजन | अतिरिक्त विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है। | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | दत्तमत | | प्रभृत्त | | |
| | राजस्व | पूँजी | राजस्व | पूँजी | योग |
| 1 | 2 | | | | |
| **समेकित निधि** | | | | | |
| **अनुदानों के लिए माँगें** | | | | | |
| **माँग संख्या-13** | | | | | |
| **(आबकारी)** | | | | | |
| 2039-राज्य उत्पाद शुल्क | .. | .. | *54,783* | .. | 54,783 |
| **योग** | .. | .. | *54,783* | .. | 54,783 |
| **माँग संख्या-15** | | | | | |
| **(पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ)** | | | | | |
| 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ | .. | .. | *2,64,990* | .. | 2,64,990 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **योग** | .. | .. | *2,64,990* | .. | 2,64,990 |
| **माँग संख्या-20** | | | | | |
| **(आवास)** | | | | | |
| 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 2,15,69,325 | .. | .. | 2,15,69,325 |
| **योग** | .. | 2,15,69,325 | .. | .. | 2,15,69,325 |
| **माँग संख्या-27** | | | | | |
| **(पेय जल योजना)** | | | | | |
| 2215-जलपूर्ति तथा सफाई | 15,69,53,452 | .. | .. | .. | 15,69,53,452 |
| **योग** | 15,69,53,452 | .. | .. | .. | 15,69,53,452 |
| **माँग संख्या-28** | | | | | |
| **(ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम)** | | | | | |
| 2501-ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम<br>2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>2810-अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत | 1,90,10,903 | .. | .. | .. | 1,90,10,903 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **योग** | 1,90,10,903 | .. | .. | .. | 1,90,10,903 |
| 1 | | | 2 | | |
| **माँग संख्या-38** | | | | | |
| **(लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण)** | | | | | |
| 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 1,03,398 | .. | .. | 1,03,398 |
| 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| **योग** | .. | 1,03,398 | .. | .. | 1,03,398 |
| **योग-समेकित निधि** | **17,59,64,355** | **2,16,72,723** | ***3,19,773*** | **..** | **19,79,56,851** |

दीपक माहेश्वरी,

**प्रमुख शासन सचिव।**

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTIG) DEPARTMENT**
**(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, April 10, 2015**

**No. F. 2 (19) Vidhi/2/2015.**–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Viniyog (Sankhya 1) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 9):-

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2015**

**(Act No. 9 of 2015)**

[Received the assent of the Governor on the 10th day of April, 2015]

*An*
*Act*

to authorize the appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2010-2011 ended on the 31st March, 2011 in excess of the amount granted for those services and for that year.

be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-Sixth year of the Republic of India, as follows:–

**1. Short title.**–This Act may be called the Rajasthan Appropration (No. 1) Act, 2015.

**2. Authorisation of Rs. 19,79,56,851/-out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2010-2011.**–Certain futher sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 19,79,56,851/- (Rupees Ninteen corore seventy nine lacs fifty six thousand eight hundred fifty one) only paid from and out of the Consolidated Fund of the State towards defraying the several charges which come in course of payment during the year ended on the 31st day of March, 2011 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule are hereby authorized to be appropriated for such services in relation to the year ended on the 31st March, 2011 in excess of the amount granted for those services and for the said year.

**THE SCHEDULE**

**(See section 2)**

**(In Rupees.)**

| Services and Purposes | Excess Appropriation not exceeding to | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Voted | | Charged | | Total |
| | Revenue | Capital | Revenue | Capital | |
| 1 | 2 | | | | |
| **Consolidated Fund** | | | | | |
| **Demands for Grants** | | | | | |
| **Demand No. 13** | | | | | |
| **(Excise)** | | | | | |
| 2039-State Excise | .. | .. | *54,783* | .. | 54,783 |
| Total | .. | .. | *54,783* | .. | 54,783 |
| **Demand No. 15** | | | | | |
| **(Pension and other retirement benefits)** | | | | | |
| 2071-Pension and other retirement benefits | .. | .. | *2,64,990* | .. | 2,64,990 |
| **Total** | .. | .. | *2,64,990* | .. | 2,64,990 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demand No. 20** | | | | | |
| **(Housing)** | | | | | |
| 4216-Capital outlay on housing | .. | 2,15,69,32<br>5 | .. | .. | 2,15,69,325 |
| Total | .. | 2,15,69,32<br>5 | .. | .. | 2,15,69,325 |
| **Demand No. 27** | | | | | |
| **(Drinking Water Scheme)** | | | | | |
| 2215-Water Supply and Sanitation | 15,69,53,452 | .. | .. | .. | 15,69,53,452 |
| Total | 15,69,53,452 | .. | .. | .. | 15,69,53,452 |
| **Demand No. 28** | | | | | |
| **(Special Programmes for Rural Development)** | | | | | |
| 2501-Special Programmes for Rural Development<br>2515-Other Rural Development Programmes | 1,90,10,903 | .. | .. | .. | 1,90,10,903 |

| 1 | 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2810-Non Conventional Sources of Energy | | | | | |
| Total | 1,90,10,903 | .. | .. | .. | 1,90,10,903 |
| **Demand No. 38** | | | | | |
| **(Minor irrigation and land conservation)** | | | | | |
| 4402-Capital outlay on soil and water conservation<br>4702-Capital outlay on minor irrigation | .. | 1,03,398 | .. | .. | 1,03,398 |
| Total | .. | 1,03,398 | .. | .. | 1,03,398 |
| Total-Consolidated Fund | **17,59,64,355** | **2,16,72,723** | ***3,19,773*** | .. | **19,79,56,851** |

दीपक माहेश्वरी,

**Principal Secretary to the Government.**

Government Central Press, Jaipur.